न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2021(रसद)
पंजीयन दिनांक 16.03.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/110

राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री विष्णु कुमार पिता भगवती लाल भील, निवासी नेतावलगढ़ पाछली, जिला चित्तौड़गढ़

2–श्री मुकेश पिता डालचन्द्र भील, निवासी फतेहपुरा थाना राजनगर, जिला राजसमन्द

3–श्री गुलाब सिंह पिता शम्भू सिंह राणावत, निवासी नेतावल का खेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए व सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश, 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

उपस्थितिः- 1–श्रीमति सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2021 को थानाधिकारी, सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा दूरभाष पर बोजुंदा स्थित राजस्थानी ढ़ाबे के पीछे एक ऑयल टैंकर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हुए डिटेन किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार मौके पर पहुंचकर पाया कि एक टैंकर नम्बर RJ27 GB 9521 खड़ा था जिसके पास में प्लास्टिक की जरीकेन, पाईप, कीप, किर्मे एवं गेज आदि पडे थे। टैंकर का निरीक्षण करने पर पाया कि टैंकर के उपर के सभी ढ़क्कन खुले हुए हैं तथा सील टूटी हुई थी। मौके पर पुलिस से पूछने पर उन्होने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की निकासी कर छोटे प्लास्टिक जरीकेनों में पाईप के माध्यम से भरा जा रहा था तथा पुलिस को देखकर दो व्यक्ति जो पदार्थ की निकासी कर रहे थे मौके पर सामान छोड़कर भाग गए। मौके पर पुलिस द्वारा टैंकर में रखे कागजात दिखाये जिन्हें देखने पर कागजात टैंकर के इनवॉयस पाये

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

गये जिन पर दिनांक 01.01.2021 को समय 14.33 पर आईओसीएल टर्मिनल, चित्तौड़गढ़ से रवाना लिखा पाया गया। इनवॉयस जरिये वाट्सअप आईओसीएल की सेल्स ऑफिसर श्रीमति सरिता मीणा को उनके मोबाईल नम्बर पर भेजकर जानकारी ली तो उन्होने जरिये फोन इनवॉयस सही होना तथा टैंकर आईओसीएल टर्मिनल, चित्तौड़गढ़ से प्रदर्शित समय पर ही निकलना बताया। आईओसीएल टर्मिनल अधिकारी श्री विक्रमजीत, प्रबन्धक एवं श्री आशुतोष सिंह गौड़ सहायक प्रबन्धक को फोन कर बुलाया गया। जिन्होने मौके पर पहुंचकर टैंकर का निरीक्षण कर बताया कि टैंकर आईओसीएल टर्मिनल चित्तौड़गढ़ से निकला हुआ एवं इनवॉयस में प्रदर्शित सभी जानकारी सही होना स्वीकार किया। मौके पर टैंकर नम्बर RJ27 GB 9521 भरा हुआ एवं पास में पड़ा हुआ सामान जिसमें 20 लीटर क्षमता की सफेद रंग की दो जरीकेन फुल भरी हुई मात्रा 40 लीटर, 20 लीटर क्षमता की पीली रंग की एक जरीकेन फुल भरी हुई मात्रा 20 लीटर, 20 लीटर क्षमता की नीली रंग की एक जरीकेन फुल भरी हुई मात्रा 20 लीटर, 50 लीटर क्षमता की नीली रंग की एक जरीकेन आधी भरी हुई मात्रा 25 लीटर इस प्रकार कुल 105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय जरीकेन तथा दो प्लास्टिक के कीमे, दो लोहे के कीप एक छोटा व एक बड़ा, एक काला प्लास्टिक पाईप मय लोहे के नोजल, एक हरा प्लास्टिक पाईप व एक लोहे की गेज को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश नैनीवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल-पेट्रोल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी गुलाब सिंह एवं विष्णु इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जालमपुरा चित्तौड़गढ़ से अपने नियोजक भवानी टैंकर्स के टैंकर नम्बर RJ27 GB 9521 में 20,000 लीटर डीजल भरकर एच. जी. इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड गंगरार जा रहे थे एवं रास्ते में ढ़ाबे पर चाय पीने रूके की अचानक परिवादी द्वारा कार्यवाही कर टैंकर मय डीजल जब्त कर लिया।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण को झूठा फसाया गया है विपक्षीगण की ओर से कोई चोरी नहीं की गई है और न ही कोई अपराध कारित किया गया है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर संख्या RJ27 GB 9521 एवं उसमें भरे हुए डीजल का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर मैसर्स भवानी टैंकर्स जरिये पार्टनर एवं पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर एवं वाहन स्वामी श्री हरिशचन्द्र देवड़ा पिता डालचन्द देवड़ा निवासी गोराणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 54/2021 (रे.वि.) में दिनांक 30.03.2021 को पारित निर्णयानुसार उसके वैध स्वामी को 50.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

मौके पर राजस्थानी ढ़ाबे के पीछे खड़े टैंकर संख्या RJ27 GB 9521 के ढ़क्कन खुले हुए पाए तथा टैंकर के पास में पड़े हुए 5 जरीकेनों में कुल 105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया तथा मौके पर ही टैंकर के पास दो प्लास्टिक के कीमे, दो लोहे के कीप, एक काला प्लास्टिक पाईप मय लोहे के नोजल, एक हरा प्लास्टिक पाईप एवं एक लोहे का गेज भी पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीकें से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 105 लीटर डीजल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 01.01.2021 को जब्तशुदा कुल 105 लीटर डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ मय 20-20 लीटर क्षमता की चार जरीकेन, एक 50 लीटर क्षमता की जरीकेन, दो प्लास्टिक कीमे, दो लोहे के कीप (एक छोटा व एक बड़ा), एक काला प्लास्टिक पाईप मय लोहे के नोजल, एक हरा प्लास्टिक पाईप एवं एक लोहे की गेज आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 105 लीटर डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(के. के. शर्मा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official